न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2016 (रसद)
पंजीयन दिनांक 25.10.2016

सरकार जरिए श्री गजेन्द्र सिंह जोधा पुलिस उप अधीक्षक वृत चित्तौड़गढ़ अतिरिक्त चार्ज वृत भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री हरिकिशन पिता गोपीलाल गुर्जर निवासी नाहरगढ़, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2–श्री मुकेश पिता राजमल खटीक निवासी जावद जिला नीमच (मध्य प्रदेश)
3–श्री लक्ष्मण पिता लालुजी धाकड़ निवासी पंचदेवला, तहसील भदेसर चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तुत अधिनियम, 1955 के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण के संबंध में।

उपस्थितिः– 1–श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 30.01.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.06.2016 को श्री गजेन्द्र सिंह जोधा पुलिस उप अधीक्षक वृत चित्तौड़गढ़ अतिरिक्त चार्ज वृत भदेसर को पंचवटी सैंती स्थित एफ. सी. आई. गोदाम (वेयर हाउस) से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने वाले राशन के गेहूँ के कट्टे मुकेश खटीक द्वारा ट्रक नम्बर RJ 09 G 2577 में भरकर संबंधित राशन डीलर के यहां खाली नहीं करके पंचदेवला स्थित श्री लक्ष्मण धाकड के मकान व बाडे में बने गोदाम में खाली करके उनको दूसरी बोरियों में भरकर अवैध तरीके से बाजार भाव मे बेचने तथा बदनियति पूर्वक कालाबाजारी करने की जरिये मुखबीर सूचना मिलने पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता मय अनुसंधान सामग्री पंचदेवला गांव के पश्चिम दिशा तरफ रूपाजी का खेड़ा जाने वाले रोड़ के दक्षिण दिशा तरफ स्थित मकान व बाड़ा श्री लक्ष्मण धाकड़ पर पहुंचा जहां बाडे के एक लोहे की बडी फाटक हो ट्रक नम्बर RJ 09 G 2577 खडी थी व एक व्यक्ति ट्रक की ड्राईवर साईड फाटक खोल चढ़ रहा था जो हमे देख भागने लगा जिसे पकड़ नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री हरिकिशन पिता गोपीलाल गुर्जर निवासी नाहरगढ़ बताया बाडे में प्रवेश करने पर ट्रक के पीछे की तरफ जमीन पर गेहूं बिखरे हुए व बाडे के उत्तर पश्चिम कोण में मकान की दीवार के सहारे बने ढालीये जिस पर लोहे के चद्दर लगे हुए के नीचे

टाट के कट्टे रखे हुए हैं जिनके अन्दर गेहूं भरे हुए हैं कट्टों पर अंग्रेजी व पंजाबी में GOVERNMENT OF PUNJAB & GOVERNMENT OF HARYANA की छाप लगी हुई है। जिनके बारे में पूछने पर हरिकिशन ने बताया कि उक्त गेहूं मैं कल दिनांक 22.06.2016 को सांयकाल मुकेश खटीक के कहने से वेयर हाउस पंचवटी सैंती से भरे थे व चालान अनुसार 110 कट्टे गेहूं जी. एस. एस. नाहरगढ़ व 210 कट्टे जी. एस. एस. कन्नौज पृथ्वीराज रेगर के यहां खाली करने थे लेकिन मुकेश खटीक व इस बाडे व मकान के मालिक लक्ष्मण धाकड़ के कहने पर यहां खाली कर दिये जिन्हें यहां से दूसरे कट्टों में गेहूं भरकर बेचने की बात कर रहे थे जो गाड़ी खाली होने के बाद यहां से चले गये हैं। इस पर हरिकिशन को उक्त राशन का गेहूं अपने कब्जे में रख गन्तव्य स्थान पर खाली नहीं कर यहां खाली करने के बाबत कोई अनुज्ञापत्र या दस्तावेज के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। इस प्रकार मुकेश खटीक, ट्रक चालक हरिकिशन व मकान मालिक लक्ष्मण धाकड़ द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण होने वाले गेहूं को राशन डीलरों तक नहीं पहुंचाकर अपने कब्जे में रख अनुचित लाभ प्राप्त करने व कालाबाजारी करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व धारा 406, 420 भा. द. सं. का अपराध होने से गेहूं के कट्टों को कब्जे पुलिस लेकर जिनकी गिनती की तो कुल 320 कट्टे हुए प्रत्येक में करीब 48.5 किलोग्राम गेहूं हो कुल वजन बारदान सहित 155 क्विंटल 57 किलोग्राम हुआ को जब्त कर 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अन्तर्गत जब्त शुदा गेहूं के निस्तारण हेतु थानाधिकारी थाना भदेसर द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 श्री हरिकिशन ने दिनांक 29.11.2016 को स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि उक्त जब्त शुदा गेहूं के निस्तारण से मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 1 उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जसवन्त सिंह राठौड़ ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब पेश किया कि उक्त गेहूं से मेरा कोई संबंध नहीं है यदि जब्तशुदा गेहूं को राजसात किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 2 व उसके अधिवक्ता बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए जिससे विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित कुमार झंवर ने अधिकार पत्र पेश किया एवं जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस किये जाने हेतु निवेदन किया। दौराने बहस विपक्षी संख्या 3 व उनके अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि दिनांक 23.06.2016 को श्री गजेन्द्र सिंह जोधा पुलिस उप अधीक्षक चित्तौड़गढ़ अतिरिक्त चार्ज भदेसर को पंचवटी सैंती एफ. सी. आई. गोदाम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण किये जाने वाले राशन के गेहूं के काला बाजारी की सूचना मिलने पर पंचदेवला स्थित लक्ष्मण धाकड़ के मकान व बाडे पर पहुंच कर जांच की तो बाडे में ट्रक नं. RJ 09 G 2577 खडा मिला व ट्रक के पिछे की तरफ जमीन पर गेहूं

बिखरे हुए थे व मकान की दीवार के सहारे बने ढालिये में खाली कट्टे पडे मिले जिनसे उक्त गेहूं को खाली किया गया उक्त कट्टों पर GOVERNMENT OF PUNJAB & GOVERNMENT OF HARIYANA की छाप लगी हुई थी। मौके पर उपस्थित व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम श्री हरिकिशन पिता गोपीलाल गुर्जर निवासी नाहरगढ़ व ट्रक संख्या RJ 09 G 2577 का चालक होना बताया। मौके पर हरिकिशन को उक्त राशन के गेहूं को अपने कब्जे में रखने बाबत् अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा तो अपने पास कोई अनुज्ञा पत्र या दस्तावेज नहीं होना बताया। इस प्रकार उक्त पाया गया गेहूं राशन की दुकान से वितरण किया जाने वाला गेहूं होने से विपक्षीगण द्वारा उचित मूल्य सामग्री की कालाबाजारी करना व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त जब्त किये गये गेहूं को राजसात (Confiscate) करने का आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। जब्तशुदा ट्रक संख्या RJ 09 G 2577 को पूर्व में प्रकरण संख्या 65/2016 (रे.वि.) में दिनांक 18.10.2016 को उसके वैद्य स्वामी को जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर रिलीज करने के आदेश दिये जा चुके हैं। पुलिस उप अधीक्षक द्वारा मौके पर जब जांच की गई तो बाडे के अन्दर ट्रक संख्या RJ 09 G 2577 खडा हुआ तथा ट्रक के पिछे की तरफ जमीन पर गेहूं बिखरे हुए पाये गये। मकान की दीवार के सहारे बने ढालिये के नीचे टाट के कट्टे रखे जिनमें उक्त गेहूं भरा हुआ था जिन पर GOVERNMENT OF PUNJAB & GOVERNMENT OF HARIYANA की छाप लगी हुई पाई गई। मौके पर उपस्थित ट्रक ड्राईवर श्री हरिकिशन गुर्जर ने उक्त गेहूं दिनांक 22.06.2016 को सांयकाल मुकेश खटीक के कहने से वेयर हाउस पंचवटी सैंती से भरवाने व चालान अनुसार 110 कट्टे गेहूं जी. एस. एस. नाहरगढ़ व 210 कट्टे जी. एस. एस. कन्नौज पृथ्वीराज रेगर के यहां खाली नहीं करके मुकेश खटीक व बाडे व मकान के मालिक लक्ष्मण धाकड़ के कहने पर उक्त बाडे में खाली करना तथा उक्त गेहूं को बाडे से दूसरे कट्टों में भरकर बेचने की बात को स्वीकार किया तथा उक्त एफ. सी. आई. के गेहूं को अपने कब्जे में रखने से अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछने पर अपने पास कोई अनुज्ञा पत्र या दस्तावेज नहीं होना बताया।

ट्रक संख्या RJ 09 G 2577 की तलाशी लेने पर ट्रक के केबीन में ड्राईविंग लाईसेन्स, बिल्टी और चित्तौड़गढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड जिला चित्तौड़गढ़ के मूल चालान नम्बर 6654 दिनांक 22.06.2016 मय चालान की दो प्रतियां तथा मूल चालान नम्बर 6655 दिनांक 22.06.2016 मय दो प्रतियों के जो क्रमशः उचित मूल्य दुकानदार पृथ्वीराज रेगर गांव कन्नौज के नाम का जिसमें गेहूं 210 नग वजन 102 क्विंटल, गाडी नम्बर RJ 09 G 2577 एवं उचित मूल्य दुकानदार नाहरगढ़ जी. एस. एस. के नाम का जिसमें गेहूं 110 नग वजन 53 क्विंटल 57 किलोग्राम गाडी नम्बर RJ 09 G 2577 अंकित है जिससे उक्त उक्त गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण होने वाला राशन का गेहूं होना प्रमाणित पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन डीलरों को वितरित किये जाने वाले राशन के गेहूं को राशन डीलरों तक नहीं पहुंचाकर अपने कब्जे मे रखकर अनुचित लाभ प्राप्त करने/कालाबाजारी करने की पुष्टि होती है। जिससे जब्त शुदा गेहूं राजसात किये जाने योग्य है।

अतः दिनांक 23.06.2016 को पुलिस उप अधीक्षक वृत चित्तौड़गढ़ अतिरिक्त चार्ज वृत भदेसर द्वारा जब्त शुदा गेहूं कुल 320 कट्टे कुल वजन 155 क्विंटल 57 किलोग्राम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन डीलरों को वितरित किया जाने वाला राशन का गेहूं पाया जाने से राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, चितौड़गढ उक्त जब्त शुदा गेहूं को थानाधिकारी, थाना भदेसर से प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त आय को राजकोष में जमा करा पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)